संख्या-03/2019/2388/46-1-18-1000(56)/2014

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2019

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि को वर्ष 2018-19 में **हाईक्वाल्टी शुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु रु. 293.83 लाख तथा इनहांसिंग शुगरकेन प्रोडेक्शन इन यू.पी. हेतु रु. 3.456 लाख** कुल अवमुक्त धनराशि रू0 297.286 लाख का व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने समदिनांकित पत्र संख्या-कैं.1364-66/रा0कृ.वि.योजना एवं संख्या-1367-69/रा0कृ.वि.योजना, दिनांक 26.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1235/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू.पी. हेतु, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु. 293.83 लाख (रुपये दो करोड़ तिरानवे लाख तिरासी हजार मात्र) एवं रु. 3.456 लाख (रुपये तीन लाख पैंतालिस हजार छः सौ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 297.286 लाख (रूपये दो करोड़ सन्तानवे लाख अठठाईस हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1235/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, इस पत्र के संलग्नकः-1 एवं 2 में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-1235/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(कमल किशेर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2019/2388(।)46-1-18-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4- प्रभारी निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
10- नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2019/2388/46-1-18-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2019 का संलग्नक-1

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			योग			कुल योग
		सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	सहारनपुर	329100	101250	0	309125	92900	0	638225	194150	0	832375
2	मुजफ्फरनगर	448500	147400	0	443475	99925	0	891975	247325	0	1139300
3	शामली	191000	74850	0	181225	44750	0	372225	119600	0	491825
	योग मण्डल	**968600**	**323500**	**0**	**933825**	**237575**	**0**	1902425	561075	0	**2463500**
4	मेरठ	410350	22500	0	405475	89050	0	815825	111550	0	927375
5	बागपत	240100	5000	0	241400	26250	0	481500	31250	0	512750
6	गाजियाबाद	67250	2650	0	62225	9375	0	129475	12025	0	141500
7	हापुड़	88100	6200	0	83125	18250	0	171225	24450	0	195675
8	बुलन्दशहर	193950	65400	0	183950	40400	0	377900	105800	0	483700
	योग मण्डल	**999750**	**101750**	**0**	**976175**	**183325**	**0**	1975925	285075	0	**2261000**
9	मुरादाबाद	199950	26250	0	194625	42750	0	394575	69000	0	463575
10	रामपुर	150900	32250	0	100875	22150	0	251775	54400	0	306175
11	अमरोहा	282500	101250	0	232500	51075	0	515000	152325	0	667325
12	बिजनौर	239100	42200	0	714675	157025	0	953775	199225	0	1153000
13	सम्भल	178950	53300	0	128975	28325	0	307925	81625	0	389550
	योग मण्डल	**1051400**	**255250**	**0**	**1371650**	**301325**	**0**	2423050	556575	0	**2979625**
14	बरेली	414650	84100	0	314625	69125	0	729275	153225	0	882500
15	बदायू	177250	16950	0	77175	16950	0	254425	33900	0	288325
16	पीलीभीत	494950	114800	0	294975	64800	0	789925	179600	0	969525
17	शाहजहाँपुर	275550	58950	0	275500	60525	0	551050	119475	0	670525
18	कासगंज	31850	38650	0	16825	3675	0	48675	42325	0	91000
19	मथुरा	1300	0	0	0	0	0	1300	0	0	1300
20	अलीगढ	56000	88050	0	40050	8800	0	96050	96850	0	192900
	योग मण्डल	**1451550**	**401500**	**0**	**1019150**	**223875**	**0**	**2470700**	**625375**	**0**	**3096075**
21	लखीमपुर	470250	77250	10000	969650	213050	10000	1439900	290300	20000	1750200
22	सीतापुर	510000	140600	0	571700	125600	0	1081700	266200	0	1347900
23	रायबरेली	26800	5650	0	9300	2025	0	36100	7675	0	43775
24	फरूर्खाबाद	49000	17350	0	33525	7350	0	82525	24700	0	107225
25	हरदोई	214000	86000	0	163950	36025	0	377950	122025	0	499975

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	कानपुर	34400	6000	0	24375	5350	0	58775	11350	0	70125
	योग मण्डल	**1304450**	**332850**	**10000**	**1772500**	**389400**	**10000**	**3076950**	**722250**	**20000**	**3819200**
27	अयोध्या	215450	45350	0	115475	25375	0	330925	70725	0	401650
28	सुल्तानपुर	59300	0	0	29275	6425	0	88575	6425	0	95000
29	बाराबंकी	46400	6900	0	31425	6900	0	77825	13800	0	91625
30	जौनपुर	49750	1500	0	9700	1500	0	59450	3000	0	62450
31	गाजीपुर	43100	2850	0	13075	2850	0	56175	5700	0	61875
32	वाराणसी	19500	2050	0	9500	2075	0	29000	4125	0	33125
33	अम्बेडकरनगर	78700	2850	0	68700	14225	0	147400	17075	0	164475
	योग मण्डल	**512200**	**61500**	**0**	**277150**	**59350**	**0**	**789350**	**120850**	**0**	**910200**
34	गोण्डा	286000	46050	0	236000	51850	0	522000	97900	0	619900
35	बलरामपुर	293400	64450	3500	293375	64450	3500	586775	128900	7000	722675
36	बहराईच	229700	20650	5000	229700	50450	5000	459400	71100	10000	540500
	योग मण्डल	**809100**	**131150**	**8500**	**759075**	**166750**	**8500**	**1568175**	**297900**	**17000**	**1883075**
37	गोरखपुर	8150	1800	0	8175	1800	0	16325	3600	0	19925
38	बस्ती	178500	20350	0	177950	39100	0	356450	59450	0	415900
39	महराजगंज	62100	4500	0	55050	12675	0	117150	17175	0	134325
40	सिद्धार्थनगर	8750	800	0	3750	825	0	12500	1625	0	14125
	योग मण्डल	**257500**	**27450**	**0**	**244925**	**54400**	**0**	**502425**	**81850**	**0**	**584275**
41	कुशीनगर	256650	37500	0	256675	56400	0	513325	93900	0	607225
42	देवरिया	25250	5550	0	25275	5550	0	50525	11100	0	61625
43	मऊ	32100	7050	0	32125	7050	0	64225	14100	0	78325
44	बलिया	11300	2450	0	11325	2475	0	22625	4925	0	27550
45	आजमगढ	45650	10000	0	45650	10025	0	91300	20025	0	111325
	योग मण्डल	**370950**	**62550**	**0**	**371050**	**81500**	**0**	**742000**	**144050**	**0**	**886050**
	योग प्रदेश	**7725500**	**1697500**	**18500**	**7725500**	**1697500**	**18500**	**15451000**	**3395000**	**37000**	**18883000**
उ०प्र०गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर,उ०प्र० को ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम हेतु								10500000			10500000
कुल योग											**29383000**

(रूपये दो करोड़ तिरानवे लाख तिरासी हजार मात्र)

नोटः–जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरित कर संबन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उ०प्र० गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को आवंटित धनराशि आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा आहरण कर गन्ना शोध परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-03/2019/2388/46-1-18-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2019 का संलग्नक-2

धनराशि रुपये में

क्र० सं०	नाम जनपद	यंत्र वितरण कार्यक्रम	माईक्रोन्यूटियेन्ट वितरण कार्यक्रम	**कुल**
1	2	3	7	
1	बरेली	157000	0	157000
2	बदायू	3750	0	3750
3	शाहजहाँपुर	168000	10250	178250
4	कासगंज	1500	0	1500
5	अलीगढ	5100	0	5100
योग		**335350**	**10250**	345600

(रूपये तीन लाख पैंतालिस हजार छः सौ मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।